सत्यब्रत साहु, आईएएस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय,

अ.भा. सं0 डब्ल्यूक्यू–11018/7/2015–कार्या. जेडी(स्टैट)

दिनांक 11 फरवरी, 2015

विशय : 16 मार्च से 22 मार्च 2015 तक ''राश्ट्रीय ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह'' का भ्ाुभारंभ

प्रिय,

भारत के गॉवों में भौचालयों के निर्माण और उपयोग, बच्चे के मल का निरापद निपटान, जल की निरापद हैंडलिंग, रासायनिक रूप से संदूशित (आर्सेनिक/फ्लोराइड/लौह प्रभावित इत्यादि) बसावटों में केवल निरापद स्रोतों से पानी के प्रयोग, बैक्टीरिया से संदूशित स्रोतों के पानी का केवल उपचार के बाद उपयोग, जल सुरक्षा, जल संरक्षण, जल आपूर्ति प्रणाली के पार्टीसिपेटरी ओ एंड एम इत्यादि के बारे कम जागरूकता की दृश्टि से इस मंत्रालय भारत के सभी राज्यों में ''राश्ट्रीय ग्रामीण प्रेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह'' मनाने का निर्णय लिया गया है।

सप्ताह भर के प्रस्तावित अभियान के संदर्भ में मास मीडिया (रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, समाचार मीडिया (बल्क वायस एसएमएस), रिमाइंडर मीडिया (बस पैनल, होर्डिंग, वाल पेंटिंग, क्योस्क्स, पोस्टर इत्यादि) के अतिरिक्त पीआरआई, ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों, बीआरसी के क्लस्टर कोऑर्डिनेटरों, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कारीगरों (आ ाा, आंगनवाड़ी वर्कर, एसएचजी सदस्य, स्वच्छता दूत, वीडब्ल्यूएससी के सदस्य इत्यादि) की सेवाएॅ लेकर प्रत्येक बसावट में अभियान चलाने और प्रत्येक परिवार को प्रेरित करने पर अधिक बल दिया जाए। प्रत्येक गॉव में वार्ड के सदस्यों, आ ाा, आंगनवाड़ी वर्ककरों, एसएचजी सदस्यों, स्वच्छता दूत, नैच्युरल लीडरों, धार्मिक नेताओं, स्कूल अध्यापकों इत्यादि को भ्ाामिल करके वार्ड के अनुसार अलग–अलग टीमें बनाई जाएॅ और ये टीमें प्रत्येक वार्ड में मीटिंगें करें और उन्हें स्वच्छता की अच्छीत रीतियों और वैयक्तिक स्वच्छता तथा पेयजल के बारे में जागरूक करने के लिए सप्ताह के दौरान प्रत्येक घर में बार–बार जाएॅ।

अभियान की भ्ारूआत से पहले जल के सभी स्रोतों (सामुदायिक और निजी) का परीक्षण किया जाए और परिणाम बताए जाएॅ और प्रत्येक रासायनिक रूप से संदूशित स्रोत पर लाल रंग किया जाए और निरापद स्रोत पर हरा रंग किया जाए और रासायनिक रूप से संदूशित स्रोतों के पानी को पीने के लिए उपयोग को निरुत्साहित करने के लिए उनके पास उचित संदे ा प्रदर्ा ित किया जाए। जिन बसावटों में सभी स्रोत संदूशित हैं और निरापद स्रोतों से जलपूर्ति उपलब्ध नहीं है, उचित फिल्टरों की सो ाल मार्किटिंग की योजना बनाई जाए और कार्यान्वित की जाए, जिसके लिए प्रेरणा और मांग के सृजन के बाद पर्याप्त रूप से टाई–अप भी किया जाए।

जिन ग्राम पंचायतों में भौचालयों के निर्माण की मांग कम है, वहॉ कैंप लगाए जाएॅ और लोगों को भौचालयों के उपयोग के फायदे बताए जाएॅ। कैंपों में उनके लिए भौचालय स्वीकृत भी किए जाएॅ।

उपर्युक्त दे ा भर के जागरूकता अभियान की दृश्टि से सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे वा ा सेक्टर में यूनिसेफ, डब्ल्यूएसपी, सीएसओ, एनजीओ, सीबीओ इत्यादि के सहयोग से सभी बसावटों में जोर– ाोर से अभियान चलाने के लिए इस अवसर का फायदा उठाएॅ। 'स्वच्छ भारत मि ान' की आईईसी के अंतर्गत उपलब्ध 2014–15 के आईईसी बजट और 'एनआरडीडब्ल्यूपी' के स्पोर्ट फंड का प्रभावी और

जोर– ाोर से उपयोग किया जाए। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर–घर अंतर–वैयक्ति संप्रेशण (आईपीसी) और समुदाय प्रेरण (सीएम) के लिए भी एक्टिविटी आधारित इंसेंटिव के साथ अभियान के दौरान आईईसी फंड का उपयोग किया जाए।

मंत्रालय मार्च 2015 के पहले सप्ताह तक वीडियो कंफ्रेंस के माध्य से इस मामले पर इंटरएक ान का अवसर भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए तिथियॉ भीघ्र बताई जाएँगी।

अन्य किसी स्पश्टीकरण अथवा सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है : श्रीमती संध्या सिंह, संयुक्त निदे ाक (आईईसी), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मेल sandhya.singh@nic.in। सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे इस अभियान के लिए एक नोडल अधिकारी बना लें और इस संबंध में आगामी पत्राचार के लिए उसका नाम, फोन नं0 और ई–मेल पता बताएँ।

''सजेस्टिड एक्शन प्वाइंटस फार नै ानल रूरल ड्रिकिंग वाट एंड सैनिटे ान अवेयरनेस वीक'' नाम से एक संक्षिप्त वृत इस पत्र के साथ संलग्न है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपेक्षा के अनुसार सं ाोधन कर लिया जाए।

सदर

भवदीय,

हस्ता/–

(सत्यब्रत साहु)

सेवा में

राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव

प्रतिलिपि :

1) सभी राज्यों के इंजीनियर–इन–चीफ/मुख्य इंजीनियर/डब्ल्यूएसएसओ/सीसीडीयू कोऑर्डिनेटर/एसबीएम–जी कोऑर्डिनेटर

2) सचिव (एमडीडब्ल्यूएस) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के पीपीएस

3) निदे ाक (स्वच्छता)/निदे ाक (जल)/अपर सलाहकार/उप सलाहकार (जल गुणता)

4) उप सलाहकार (बीएस)

हस्ता/–

(सत्यब्रत साहु)

16 मार्च से 22 मार्च 2015 तक सभी राज्यों की ग्राम पंचायतों में मनाए जाने वाले ''राश्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह'' के कार्रवाई बिंदु

1. राज्य स्मर, जिला स्मर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्मर पर प्रीपेरेटरी प्राथमिकताएँ और कार्रवाई बिंदु तय करने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्य ाला (फरवरी 2015 के तीसरे सप्ताह तक)।
2. सभी संबद्ध विभागों [ि ाक्षा विभाग––रैली करने, पेयजल, एफटीके से जल स्रोतों के परीक्षण करने के मुद्दों पर लोगों को घर–घर जाकर प्रेरित करने के लिए अध्यापकों और विद्यार्थियों को भाामिल करने के लिए; स्वास्थ्य विभाग––रासायनिक रूप से (आर्सेनिक/फ्लोराइड, लौह, भारी धातुएँ) संदूशित जल पीने से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ि ाक्षा देने के लिए रासायनिक रूप से संदूशित पेयजल वाली ग्राम पंचायतों/बसावटों में जागरूकता बैठकों में भाग लेने के लिए पीएचई के डॉक्टरों को भाामिल करने के लिए और घर–घर जाकर अभियान छेड़ने और समुदाय प्रेरण के लिए आ ाा को भाामिल करने के लिए; आईसीडीएस––सभी हितधारकों (उदाहरणार्थ यूनिसेफ, डब्ल्यूएसपी, एनजीओ इत्यादि) के सहयोग से घर–घर जाकर अभियान छेड़ने और समुदाय प्रेरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भाामिल करने के लिए] को भाामिल करते हुए एक दिवसीय राज्य स्तरीय एडवोकेसी कार्य ाला (मार्च 2015 के पहले सप्ताह तक) ।
3. राश्ट्रीय पेयजल जागरूकता सप्ताह की प्राथमिकताओं के बारे में बताने के लिए सभी जिला में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्य ाला (वरियतः चौथे सप्ताह तक,राज्य स्तरीय कार्य ाला के एक या दो दिन बाद ही, जिसमें जल और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जिला एवं ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता और संबद्ध विभागों (स्वास्थ्य, आईसीडीएस, ि ाक्षा) के जिला स्तरीय कार्यकर्ता भाामिल हों।
4. उपर्युक्त जागरूकता सप्ताह के दौरान की जाने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय गतिविधियों के बारे में बताने के लिए फरवरी 2015 के तीसरे सप्ताह में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्य ाला, जो जिला स्तरीय कार्य ाला के एक या दो दिन बाद ही हो और जिसमें सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, सरपंच, वार्ड सदस्य, मुख्याध्यापक, आ ाा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के अन्य कार्यकर्ता इत्यादि भाग लें।

ऊपर सुझाई गई प्रीपेरेटरी कार्य ालाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के दौरान निम्नलिखित आईईसी और कार्यक्रम दखलों की सिफारि ा की जाती है––

1. राश्ट्रीय पेयजल जागरूकता सप्ताह
2. 16 मार्च 2015 (जागरूकता सप्ताह की संध्या)।

राष्ट्रीय स्तर पर : (क) सभी हितधारकों (यूनिसेफ, डब्ल्यूएसपी इत्यादि) के सहयोग से राश्ट्रीय जागरूकता अभियान का उदघाटन।

i. सहभागी आर्गनाइजर की सहायता से मीडिया में कर्टेन रेजर
ii. सभी अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन
iii. सभी टीवी और रेडियो चैनलों पर स्वच्छता और जल की सुरक्षित हैंडलिंग, जल गुणता पर अभियान
iv. 16 मार्च से 22 मार्च 2015 तक अभियान के सभी दिन बहु मात्रा में एसएमएस।

17 मार्च 2015 :

1. राज्य स्तरीय :

i. राज्य के मुख्यालय में ''टेबलो'' वाली प्रातःकालीन जन रैली सहित उदघाटन जागरूकता अभियान, जिसमें सभी हितधारक, पीआरआई कार्यकर्ता, एसएचजी, पास–पड़ौस के कुछ जिलों से स्कूलों के बच्चे भाामिल हों, जिसके बाद माननीय मुख्य मंत्री/ग्रामीण स्वच्छता/पेयजल के प्रभारी मंत्री उदघाटन भाशण दें। उदघाटन भाशण के दौरान सप्ताह के दौरान हाईलाइट किए जाने वाले पेयजल संबंधी मुद्दे हाईलाइट किए जाएँ।

ii. राज्य के सभी अग्रणी समाचार पत्रों में ग्रामीण स्वच्छता और ग्रामीण पेयजल के प्राथमिकता मुद्दों पर ि ाक्षात्मक विज्ञापन।

iii. जागरूकता सप्ताह के सभी दिन तथा एक अतिरिक्त सप्ताह के दौरान थोडे.–थोड़े अंतराल के बाद ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल के मुद्दों पर राज्य के रेडियो और टीवी चैनलों पर रेडियो और टीवी स्पोट

iv. पेयजल के मुद्दों पर संदे ा देते हुए सभी दिन बहु मात्रा में वायस एसएमएस।

v. वरिश्ठ पत्रकारों से संपर्क करके स्वच्छता और पेयजल के मुद्दों पर स्पोंसर्ड एडवोकेसी लेख।

vi. भौचालयों के प्रयोग, स्वच्छ भारत मि ान, जल संरक्षण इत्यादि पर सप्ताह भर की राज्य भाशण प्रतियोगिता/डिक्लेमे ान प्रतियोगिता, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर प्रतियोगिताओं के बाद ग्रामीण स्तर के स्कूलों से छॉटे गए बच्चे भाग लें (प्रतियोगिताएँ ि ाक्षा विभाग के साथ समन्वय से ग्राम पंचायत स्कूलों में आयोजित की जाएँ)। ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और दसवीं पोजि ान तक प्रमाण पत्र) दिए जाएँ। सभी भागीदारों को 'भाग लेने का प्रमाण पत्र' दिया जाए।

1. जिला स्तर

i. रैली निकालकर जिला मुख्यालय में उद्घाटन अभियान। रैली के दौरान रैली के सबसे आगे ''मंच/आईईसी वैन'' हों। रैली में पास के कुछ ब्लॉकों से स्कूलों के बच्चे, पीआरआई सदस्य, एसएचजी, एनसीसी आदि भाग लें।

ii. उद्घाटन कार्य ााला, जिसमें डीएम/डीसी, जिला पंचायत प्रमुख, पीएचईडी के सभी जिला स्तरीय कार्यकर्ता, आरडी एवं संबद्ध विभागों के कर्मचारी, रैली में भाग लेने वाले।

iii. जिला बस स्टैंडों, रेलवे स्ट ानों (यदि हों), जिला अस्पतालों, बस पैनलों इत्यादि पर होर्डिंगों पर संदे ा।

iv. केबल टीवी और स्थानीय रेडियों स्टे ानों (यदि हों) पर संदे ा।

v. ब्लॉक से विजेताओं को जिला स्तरीय ''भाशण/डिक्लेमे ान प्रतियोगिता''।

1. खंड स्तर

i. उद्घाटन अभियान, जो आईईसी वैन की मास रैली द्वारा हो और जिसमें स्कलों के बच्चे, पीआरआई सदस्य, वार्ड सदस्य, पास की ग्राम पंचायतों के स्कूलों से यूथ ग्रुप आदि भाग लें। अभियान के बाद बीडीओ की अध्यक्षता में जनता बैठक की जाए जिसमें संबद्ध विभागों के खंड स्तरीय कर्मचारी भाग लें।

ii. बस स्टैंडों, अस्पतालों, खंड कार्यालय, खंड पंचायत कार्यालय में होर्डिंग और वाल पेंटिंग।

iii. केबल टीवी पर स्पॉट और संदे ा।

iv. सभी ग्राम पंचायतों से विजेताओं की खंड स्तरीय भाशण/डिक्लेमे ान प्रतियोगिता।

1. ग्राम पंचायत स्तर

i. सभी गॉवों में ग्राम सभा की बैठक अथवा कम से कम राजनैतिक/स्थानीय नेताओं की अगुआई में जनता बैठक

ii. सभी घरों के लोगों की प्रातःकालीन रैली जो जल संबंधी मुद्दों को द ार्शाते हुए बैनर लेकर सभी वार्डों से गुजरे।

iii. सभी वार्डों में वार्ड सभा।

iv. स्कूल : अभियान के प्रत्येक दिन प्रार्थना के बाद स्वच्छता, वैयक्तिक स्वच्छता और पेयजल पर चर्चा, अभियान के दिनों स्कूल के बाद स्कूल के बच्चों की रैली, एफटीके से सभी जल स्रोतों का परीक्षण, प्रतियोगिताऍ (निबंध, वाद–विवाद, नाटक, पोस्टर, संगीत इत्यादि)।

v. सभी ग्राम पंचायतों के स्कूलों में डिक्लेमे ान/भाशण प्रतियोगिता।

vi. आर्सेनिक/फ्लोराइड से संदू ित सभी जल स्रोतों को लाल रंग करना और निरापद स्रोतों को हरा रंग करना।

vii. अभियान की भ्ाुरुआत से पहले प्रत्येक बसावट और स्कूल की दीवार पर अलग–अलग वाल पेंटिंगें, जिनमें जल की सुरक्षित हैंडलिंग (सभी गॉवों के लिए एक जैसी), रासायनिक (फ्लोराइड/आर्सेनिक) रूप से संदूशित बसावटों में केवल सुरक्षित जल के प्रयोग जैसे उचित मुद्दों पर चित्रकारी और संदे ा भ्ाामिल हो।

viii. अभियान की भ्ाुरुआत से पहले पेयजल, भ्ाुचिता और स्वच्छता का संदे ा देते हुए ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पोस्टर।

ix. जल स्रोतों के पास टूटे–फूटे प्लेटफार्मों की मरम्मत, जिनके साथ सोक पिट और नालियॉ भी बनाई जाऍ और सोक पिटों में गिरती हुई नालियों वाले प्लेटफार्मों का निर्माण (मनरेगा के साथ सहभागिता पर विचार किया जाए, क्योंकि इस बारे में प्रावधान हैं)।

x. जल की सुरक्षित हैंडलिंग, पीने के लिए केवल निरापद पेयजल स्रोत का उपयुग, जल सुरक्षा, पार्टिसिपेटरी ओ एंड एंम जैसे जल संबंधी मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों, क्लस्टर कोऑर्डिनेटरों और आ ाा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एसएचजी, वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों द्वारा फ्लिप चार्टों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक घर को कवर करते हुए जागरूकता सप्ताह के प्रत्येक दिन घर–धर दौरा।

xi. जल पूर्ति प्रणाली के पार्टिसिपेटरी ओ एंड एम पर समुदाय की सहभागिता के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबरों और वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों द्वारा ग्रुप मीटिंगें।

xii. जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक गॉव में मनोरंजक भौली में संदे ा देने के लिए नुक्कड़ नाटक/कला जत्था द्वारा मंचन सभी गॉवों में नुक्कड़ नाटक होने तक सप्ताह के बाद भी जारी रह सकता है।

(स्क्रिप्ट, संदे ा, थीम इत्यादि तैयार करने के लिए गीत एवं नाटक प्रभाग, स्टेट कल्चरल विंग, राज्य की प्रोफेसनल रंगमंच पर्सनलिटीज को भ्ाामिल करके राज्य/जिला स्तरीय कार्य ााला ऍअ ायोजित की जाऍ)

xiii. इस सप्ताह के दौरान और प्रत्येक गॉव के कवर होने तक सप्ताह के बाद भी प्रत्येक गॉव में आडियो–विजुअल वैन (वैन के तीन और फ्लैक्स ओन, क्षेत्र के लिए उचित मुद्दों पर संदे ा देते हुए कांटैक्टिंग विजुअल और संदे ा) द्वारा आडियो–विजुअल भ्ाो। (यह नुक्कड़ नाटक के साथ

किया जा सकता है अथवा इसके अतिरिक्त उपलब्ध होने पर मुद्दे पर आडियो–फिल्में दिखाई जा सकती हैं।)

xiv. जिंगल बजाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत/बसावट में पेयजल के मुद्दों पर रोजाना ऑडियो घोशणा और पन्नों का वितरण।

xv. राज्य सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में अभियान के वि लेशणात्मक प्रलेखन का प्रबंध करे और यदि आव यक हो तो किसी एजेंसी की सेवा ले और अभियान की समाप्ति के दो महीने के अंदर उसे मंत्रालय को प्रस्तुत करे।

xvi. राज्य/जिला द्वारा ऑडियो–विजुअल और ऑडियो स्पॉट एवं प्रोग्राम फार टी/रेडियो/ए. वी. वैन, पोस्टर, फ्लिप चार्ट फॉर आईपीसी, संदे ा सहित डिजाइन की सोफ्ट कॉपियॉ, होर्डिंगों के लिए इलस्ट्रे ान, वाल पेंटिंग और फ्लेक्स जैसी आईईसी टूल किटें दी जाएँ और यूनिसेफ जैसे सहभागी संगठनों से सहायता ली जाए।

———